हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 मार्च, 2003

खण्ड, अंक–1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 5 मार्च, 2003

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
शोक प्रस्ताव	(1)17
घोषणाएं–	(1)32
(क) अध्यक्ष द्वारा–	
(1) सभापतियों के नामों की सूची	(1) 32
(2) याचिका समिति	
(3) सदन से अनुपस्थिति की सूचना	
(ख) सचिव द्वारा–	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1) 32
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1)34
वाक आउट्स	(1)39
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कारज–पत्र	(1)39

नियम समिति की रिपोर्ट'	(1)42
विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1)42
(1) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1)42
(2) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध –	(1) 43
(3) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान, एम०एल०एज० के विरुद्ध	(1)43
(4) डा० रघुबीर सिंह कादियानं, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1)44

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 5 मार्च, 2003

विधान सभा की बैठक। हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन 1 सैक्टर–1 चण्डीगढ़ में 3.25 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today i.e. the 5th March, 2003 at 2.00 P.M. under Article 176(1) of the Constitution of India.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

अध्यक्ष महोदय एवं माननीय समासदो,

हरियाणा विधानसभा के इस वर्ष के पहले सत्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा अपनी शुमकामनाएं देता हू।

में इस अवसर पर कल्पना चावला एवं उसके छः अन्य साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनका कोलम्बिया

अंतरिक्ष–यान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर निधन हुआ। कल्पना चावला हरियाणा की एक होनहार और साहसी बेटी तो थी ही, वह समस्त भारत के युवा वर्ग के लिए अपने जीवनकाल में ही प्रेरणा का स्रोत इसलिए बन गई, क्योकि उसमें अपनी पसन्द का व्यवसाय चुनने का साहस भी था और अंतरिक्ष में अपने सपनों को साकार करने की अदम्य इच्छा भी थी।

मेरी सरकार प्रदेश की इस महान् बेटी की स्मृति को चिर–स्थायी रखने के लिए राज्य की मेधावी छात्राओं को शैक्षणिक पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियाँ देगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को हर वर्ष ''कल्पना चावला स्मृति स्वर्ण पदक' तथा 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके इलावा राज्य के इंजीनियरिंग कालेजों मे प्रवेश लेने वाली छात्राओं में से 5 सबसे मेधावी छात्राओं को 2–2 हजार रुपये प्रति मास की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। राजकीय महिला बहुतकनीकी संस्थान अम्बाला का नाम कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया है। मेरी सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि कल्पना चावला के नाम पर करनाल में एक मेडीकल कालेज और कुरुक्षेत्र में एक तारामण्डल स्थापित किया जाए। भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि भारतवंशी इस महान् वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री को मरणोपरान्त नागरिक सम्मान से अलंकृत किया जाये। मेरी सरकार का भरसक प्रयास रहेगा कि कल्पना चावला की स्मृति चिर–स्थायी

बने ताकि राष्ट्र का युवा वर्ग उसके महान् व्यक्तित्व से प्रेरित होता रहे।

मेरी सरकार पंजाब राज्य में सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण शीघ्र पूरा करवाने के लिए कटिबद्ध है। गत वर्ष 15 जनवरी, 2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए, सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर के बारे में पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस नहर का निर्माण एक वर्ष की अवधि मे पूरा करे। पंजाब सरकार द्वारा ऐसा न करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह कार्य केन्द्र सरकार को किसी केन्द्रीय एजेंसी से करवाना होगा। यह दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब सरकार ने अभी तक अपने क्षेत्र में सम्पर्क नहर के कार्य को पूरा करवाने के लिए उचित कदम नहीं उठाये हें। इसलिए अब मेरी सरकार केन्द्र से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार इस कार्य को पूरा करवाने के प्रयास कर रही हे।

सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर हरियाणा की जीवन रेखा भी है और यह उसका अधिकार भी है। इसके न बन पाने के कारण हरियाणा में यमुना कमाण्ड एरिया और दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इससे हरियाणा के किसानों को क्षति तो हो ही रही है, राष्ट्र का भी भारी नुकसान हो रहा है। इस वर्ष तो राज्य के कई भागों में सूखा रहा, जिससे विशेषकर, दक्षिणी हरियाणा के जिले प्रभावित हुए। इन सभी समस्याओं का समाधान इस नहर के निर्माण पर ही

निर्भर करता है। इस माननीय सदन ने इस नहर के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में विगत सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया था। इस मुद्दे पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठकों का आयोजन भी किया गया है तथा माननीय प्रधान मंत्री से मिलकर निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न करवाने का अनुरोध भी किया गया है। मेरी सरकार इस मामले पर केन्द्रीय सरकार से लगातार पत्र व्यवहार एवं बैठकें कर रही है तथा नहर का कार्य शीघ्र सम्पन्न करवाने में कोई कसर नही छोड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासो के सुखद परिणाम शीघ्र प्राप्त होंगे।

मेरी सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा के विशेष महत्व को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का प्रसार कर रही है, जहां यह सुविधाएं कम उपलब्ध हैं। जननायक चौधरी देवीलाल की यह तमन्ना थी कि हरियाणा के लोग शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ें। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हरियाणा के युवक भी अन्य राज्यों के युवकों की भांति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सभी क्षेत्रों में, विशेषकर, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत उच्च पदों पर आसीन हो। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये उन्होंने विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये मैचिंग ग्रान्ट, घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिये आर्थिक प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये मुफ्त पुस्तकें व वर्दियां आदि देने की नयी–नयी योजनाएं अपने कार्यकाल में आरम्भ की थीं। हरियाणा में सिरसा व फतेहाबाद ऐसे इलाके हैं

जहां से दूर–दूर भी कोई विश्वविद्यालय नहीं है तथा शिक्षा की दृष्टि से इन क्षेत्रों में पिछड़ापन है। इन क्षेत्रों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सिरसा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र को विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उनके स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी पावन स्मृति में इस विश्वविद्यालय का नाम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय रखा जा रहा है।

छोटा प्रदेश होने के बावजूद हरियाणा प्रगतिशील और कल्याणकारी योजनाओं के लिए विख्यात है। मौलिक और रचनात्मक योजनाओं द्वारा विकास की दिशा में कई बार हरियाणा ने अन्य प्रदेशो का मार्गदर्शन किया है। ऐसा ही एक अनूठा प्रयास बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने, घटते स्त्री–पुरुष अनुपात और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा मे मेरी सरकार ने किया है। मेरी सरकार का यह मानना है कि जनसंख्या पर अंकुश लगाना तो आवश्यक है, किन्तु ऐसा केवल लोकतांत्रिक तरीकों और जनता के सहयोग से ही किया जाना चाहिए। इसलिए ऐसी योजनाएं सामने लाई जा रही हैं, जिनको लोग स्वेच्छा से अपना सकें। सरकार ने ''देवीरूपक'' नामक एक अनूठी योजना इस उद्देश्य से आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत प्रजनन आयु के दम्पत्तियों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन दम्पत्तियों को 500 रुपये मासिक की धनराशि 20 वर्षों तक दी जाएगी, जिन्होंने पहले बच्चे के जन्म पर, जो कि लड़की हो, नसबंदी अथवा नलबन्दी करवा ली

हो। इसी प्रकार उन दम्पत्तियों को 200 रुपये मासिक की राशि 20 वर्षो तक दी जाएगी जो अपने पहले बच्चे, लड़के, के पश्चात् तथा 2 बच्चो, लड़कियों, के बाद नसबन्दी अथवा नसबन्दी करवाएंगे। देशभर में इस प्रयास की सराहना की गई है एवं अन्य राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाने पर विचार कर रही हें।

जन–साधारण एवं सरकार के बीच की दूरी को कम कर लोगों की दुःख तकलीफों को सुनकर मौके पर समाधान करने एवं विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में लगभग 920 करोड़ रुपये की लगात से 12,687 निर्माण कार्य सम्पन्न हुए हैं। दूसरे चरण में लगभग 596 करोड़ रुपये की लागत से पूरे किये जाने वाले 9282 कार्य सम्पन्न किये जा चुके हैं तथा 5855 निर्माण कार्य चल रहे हैं। तीसरा चरण 2 अक्तूबर, 2002 से प्रारम्भ किया गया है, जिससे विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आई है।

कृषि

कृषि हरियाणा की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार है। बदलते परिवेश में आज कृषक समाज के समक्ष नई–नई चुनौतियां आ रही हैं। उन चुनौतिया से निपटने के लिए मेरी सरकार कृत–संकल्प है। इसीलिए पिछले दो वर्षों से राज्य के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति के बावजूद हरियाणा के किसान सरकार द्वारा

समय पर सिंचाई हेतु पानी, बिजली, बीज, खाद आदि की समुचित व्यवस्था किए जाने के कारण अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। राज्य की सहकारी संस्थाओं ने भी इस प्रयास में बढ़–चढ़ कर योगदान दिया है। मेरी सरकार की सदैव यह धारणा रही है कि समाज की खुशहाली केवलमात्र ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की खुशहाली पर ही निर्भर करती है।

कृषि के क्षेत्र में तिलहनों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 –2002 में तिलहनों का उत्पादन 8 लाख 7 हजार टन हुआ जबकि इस वर्ष इसका उत्पादन 8 लाख 80 हजार टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2001 – 2002 में गेहूं का उत्पादन 94 लाख 37 हजार टन हुआ तथा इस वर्ष 95 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2001–2002 में धान का उत्पादन 40 लाख 86 हजार टन प्राप्त हुआ जबकि इस वर्ष राज्य में सूखे की मार के बावजूद भी टी लाख 2 हजार टन धान का उत्पादन हुआ तथा कई जिलो में धान की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस वर्ष गन्ने की फसल बहुत अच्छी है तथा दस लाख टन (गुड़) के उत्पादन होने का अनुमान है जोकि एक नया कीर्तिमान होगा। यह राज्य की सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने की अच्छी कीमते दिए जाने के कारण ही सन्भव हुआ है। राज्य में दी जाने वाली गन्ने की कीमते देश में सबसे अधिक हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए विशेष हर्ष हो रहा है कि राज्य की तीन सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रथम पुरस्कार प्राप्त

हुए हैं तथा राज्य की करनाल स्थित सहकारी चीनी मिल को देश की सर्वोच्च मिल होने का पहला पुरस्कार मिला है। यह पहला अवसर है कि राज्य की किसी सहकारी चीनी मिल को यह गौरव प्राप्त हुआ हे। मैं इस शानदार उपलब्धि के भागीदार सभी किसानों, मिल प्रशासन एवं कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूँ।

भू–जल–प्रबन्धन की दिशा में मेरी सरकार ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस दिशा में फव्वारा सिंचाई पद्धति को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा चालू वित्त वर्ष मे दो हजार नए फव्वारा संयंत्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है। फसलों पर कीटनाशकों के बढ़ते हुए प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार ''समन्वित कीट प्रबन्धन योजना' को बढ़ावा दे रही है। ऑरगेनिक कृषि तथा जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के कृषि क्षेत्र में होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फसलों के विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गेहूं की फसल की बिजाई के लिए ''जीरो टिलेज ड्रील'' नामक एक नई तकनीक विकसित की गई है, जिसके अन्तर्गत जीरो टिलेज मशीनों पर 3000 रुपये प्रति मशीन की दर से इस वित्त वर्ष में 2000 किसानों को अनुदान दिया गया है। हरियाणा प्रदेश में 6 लाख एकड़ भूमि पर इस पद्धति से गेहूं की फसल की बिजाई की गई है। इस तकनीक को अपनाने में हरियाणा देशभर में अग्रणी है।

बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र बदाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। फलों के अन्तर्गत क्षेत्र 2001–02 में 31317 हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 33317 हैक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार वर्तमान वर्ष में सब्जियों के अन्तर्गत क्षेत्र 1 लाख 50 हजार हैक्टेयर के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। खुम्बी उत्पादन भी 4500 टन से बढ़कर वर्तमान वर्ष के अन्त तक 4950 टन होने की आशा है। फूलों का क्षेत्र भी वर्ष 2001–02 में 3250 हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2002–03 में 3600 हैक्टेयर होने की सम्भावना है। ग्रीन हाउस तकनीक का भी प्रसार किया जा रहा है तथा वर्तमान वर्ष के अन्त तक 187 ग्रीन हाउसिज स्थापित किये जाने का अनुमान है।

गत वर्ष चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में चालू की गई ''कृषि हैल्प लाईन' सेवा का तीन अन्य अनुसन्धान केन्द्रों रोहतक, करनाल तथा बावल में विस्तार किया जा रहा है। राज्य में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य सरकार ने चौधरी देवी लाल की स्मृति में किसान पुरस्कार देने की योजना शुरू की है। इसके अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर क्रमशः एक लाख रुपये तथा पच्चीस हजार रुपये पुरस्कार के रूप में दिये जाते हैं।

वन एवं पर्यावरण

राज्य को हरा भरा प्रदेश बनाने तथा वनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने के लिये राज्य का वन विभाग प्रयत्नशील है। चालू वित्त वर्ष में लगभग 23 हजार हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी, 2003 तक लगभग 17 हजार हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जा चुका है। कुल साढ़े चार करोड़ पौधे लगाने की योजना है। राज्य के कुछ जिलों में काफी लम्बी अवधि तक सूखे की स्थिति रही, किन्तु, इसके बावजूद भी पौधों की सफलता 90 प्रतिशत से ऊपर रही है। विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधे लगाने के लिये ''वन वनस्पति योजना'' लागू की जा रही है। राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से गिद्धों के प्रजनन का कार्यक्रम तेजी से लाग किया जा रहा है। जन–जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना पैदा करने की दृष्टि से नैशनल ग्रीन कोर्पस योजना के अन्तर्गत 1900 विद्यालयों में 'पर्यावरण क्लब'' चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार की सहायता से बहुमूल्य जेब विविधता नीति की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

पानीपत में कपड़ा रंगने की लगभग 500 इकाइयां शहर के अन्दरूनी भागों में बहुत दिनों से काम कर रही हैं। इन इकाइयों को शहर के भीड़ भरे क्षेत्रों से निकाल कर खुले क्षेत्रों में स्थापित करने का मामला बहुत दिनों से लम्बित चल रहा था। इन इकाइयों को बाहर स्थानान्तरित करने के लिए पानीपत के सैक्टर

29 के भाग–2 में सस्ती दरों पर स्थान उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इन इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल के शोधन के लिए एक अलग संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तथा मल निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है। इस परियोजना को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार से 20 करोड़ रुपये की धन राशि भी प्राप्त हो चुकी है।

सहकारिता

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे सहकारिता आन्दोलन में हैफेड का एक विशेष स्थान है। इस संस्था ने वर्ष 2002–2003 में 21 लाख 3 हजार मीट्रिक टन गेहूं तथा 5 लाख 56 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की है। खाद्यान्नों को वैज्ञानिक तरीकों से सुरक्षित रखने हेतु 5 लाख 86 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया दै। हैफेड द्वारा दिल्ली में 6 करोड़ 65 लाख रुपये की लगत से 11 हजार मीट्रिक टन की क्षमता के शीत भण्डार का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके आगामी वित्त वर्ष तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस सहकारी संस्था ने चालू वित्त वर्ष में 2 लाख 2 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 70 हजार मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है, जो एक शानदार उपलब्धि है।

किसानों के अपने बैंक अर्थात् 'हरको बैंक' ने किसानों के लाभ हेतु पहली अक्तूबर, 2002 से फसली ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर मैं एक प्रतिशत की कटोती की है। चालू वित्त

वर्ष के लिए नाबार्ड द्वारा 2002 करोड़ 65 लाख रुपये के दीर्घावधि ऋण स्वीकृत किए गए हें। 31 दिसम्बर, 2002 तक 367 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण इस बैंक द्वारा वितरित किए गए हैं। इस बैंक ने वर्ष 2001–2002 में लगभग 36 करोड रुपये का लाभ कमाया है जोकि एक नया कीर्तिमान है।

खाद्य एवं आपूर्ति

राज्य मे गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के बढ़ते उत्पादन के कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं अन्य सरकारी खरीद एजेंसियों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। वर्ष 2001–2002 में मण्डियों में आए समस्त 64 लाख टन से अधिक तथा वर्ष 2002–2003 में लगभग 59 लाख टन गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियों ने की। वर्ष 2002 में 75 हजार 361 टन सरसों की रिकार्ड खरीद की गई। इस वर्ष सूखे के बावजूद धान की 30 लाख 30 हजार टन खरीद की गई। राज्य में गेहूं व धान की खरीद का कार्य नियमित रूप से चल रहा है और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य समय पर दिया जा रहा है। आगामी रबी की फसल में लगभग 65 लाख टन गेहूं की खरीद के लिए समुचित व्यवस्था कर ली गई है। किसानों के लिए मण्डी की सुविधा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई है कि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने के लिए 8 किलोमीटर से अधिक दूर न जाना पड़े। इतना ही नहीं उपज की कीमत का भुगतान भी तीन दिन के अन्दर कर दिया जाता है। सरकार द्वारा इस खरीद के समुचित भण्डारण का प्रबन्ध भी किया

गया है। खाद्यान्न की खरीद से सम्बन्धित सभी एजेंसियां स्थायी भण्डारण का निर्माण करवा रही हैं। उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं कार्य स्थल पर उपलब्ध करवाने के लिये ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 7193 उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं। राज्य में सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं यथेष्ठ मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकार संरक्षण के प्रति भी सजग है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम स्थापित किये गये हैं।

सिंचाई

कृषि प्रधान राज्य होने के कारण, सिंचाई सुविधाओ का विकास मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता है। वर्ष 2002 के दौरान राज्य में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसे हालात से निपटने के लिए भाखड़ा जलाशय से और अधिक जल प्राप्त किया गया। खरीफ की फसल का साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये का आबियाना माफ किया गया है। सूखा पीड़ित किसानो को सहायता व कई प्रकार की रियायतें देने हेतु ''आपदा राहत कोष'' से 241 करोड़ 34 लाख रुपये की राशि दी गई है। वर्ष 2001–2002 के दौरान सूखे की स्थिति के बावजूद नहरों से लगभग 21 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र कि सिंचाई की गई। रबी की फसल की बिजाई के दौरान मांग अनुसार पर्याप्त सिंचाई जल की आपूर्ति की गई है। बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने तथा निचले क्षेत्रों से वर्षा का पानी निकालने के लिए सरकार ने 163 करोड़ 5 लाख रुपये

की लागत वाली सिंचाई की 129 तथा जल निकासी की 13 योजनायें स्वीकृत की हें। बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए 16 करोड 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जल निकासी व बाढ़ बचाव कार्यों की 72 नई योजनाओं तथा 24 पहले से चल रही अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने की स्वीकृति दी गई है। जिला जीन्द, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा मे सतही जल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए 170 करोड़ 64 लाख रुपये की अनुमानित लागत से योजना तैयार की गई है। शिवालिक की पहाड़ियों में घग्गर, मारकण्डा व टांगरी नदियों और इनकी शाखाओं पर स्थानीय सिंचाई एवं भूमिगत जल स्तर की भरपाई के उद्देश्य से वर्षा के पानी का भण्डारण करने की एक योजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त बड़ी ड्रेनों पर भी जल भण्डारण के लिए छोटे–छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा।

मानसून के दौरान यमुना नदी से अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए पश्चिमी यमुना नहर मुख्य शाखा, सिरसा शाखा, हांसी शाखा, पुरानी दिल्ली शाखा व अन्य सम्बन्धित नहरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य ''तीव्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना'' के अधीन प्रगति पर है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत कर दी है और 8 करोड 5 लाख रुपये का एक अन्य प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण (काडा) ने चालू

वर्ष मे 60 जलमार्गो को पक्का किया और 63 जल उपभोक्ता संगठन बनाए व भविष्य के लिए तीन नई परियोजनाएं बनाई हें।

विद्युत

माननीय सदस्यगण! कृषि और उद्योग के विकास और नागरिकों के सुखी जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली का उपलब्ध होना आवश्यक है। इस सरकार की अवधि में बिजली उत्पादन की प्रस्थापित क्षमता में 792 मैगावाट की वृद्धि हुई है। 20 अगस्त, 2002 को 698 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई गई जोकि एक नया कीर्तिमान है। वर्ष 1998–99 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में बिजली की उपलब्धता 43 प्रतिशत अधिक रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को मैट प्रतिशत अधिक बिजली दी गई है। जिससे सूखे की स्थिति के बावजूद किसानों की बिजली की मांग को पूरा किया जा सका है। जनवरी, 1999 से बन्द पड़ी पानीपत ताप बिजली–घर की 110 मैगावाट की इकाई–दो का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पानीपत में 250–250 मैगावाट की 2 इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य के अपने बिजली उत्पादन केन्द्रो से वर्ष 2001–2002 मे 40 प्रतिशत अधिक बिजली पैदा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया गया और इस वर्ष इसमें 18.8 प्रतिशत की और वृद्धि हुई है। बिजली प्रसारण एवं वितरण के ढांचे को मजबूत करने के लिए 36 नये ग्रिड सब–स्टेशन चालू किए गए हैं व 163 सब–स्टेशनों की क्षमता

बढ़ाई गई है। 75 सब–स्टेशनों का निर्माण कार्य चालू है व 55 सब–स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जा रही है, जिन पर 700 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

विगत तीन वर्षों में श्य हजार से अधिक ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए हैं और ट्यूबवैल कनैक्शन देने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। जिन उपभोक्ताओं के बिलों का भुगतान बकाया था, उनको प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं तथा बिजली बिलों से सम्बन्धित विवादों के समाधान के लिए व्यवस्था की गई है। सूखे के कारण जिन किसानो की फसलों को नुकसान हुआ था उनके लिए विशेष रियायतें दी गई हैं।

लोक निर्माण विभाग (भवन व सडकें शाखा)

सडके विकास की धमनियां हैं। मेरी सरकार इस क्षेत्र की ओर भी पूरा ध्यान दी रही है। इस कार्य पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाहियों में 195 करोड़ रुपये खर्च किए गए तथा 25 किलोमीटर नई सडकों का निर्माण तथा लगभग 3000 किलो मीटर लम्बी सड्कों की मरम्मत की गई है। राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए अगले वित्त वर्ष में समुचित राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। लगभग 550 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गो को सुदृढ़ किया जाएगा। ''प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना'' तथा ''केन्द्रीय सड़क कोष योजना'' के अन्तर्गत आगामी वर्ष में सड्कों के निर्माण कार्य व उनका दर्जा बढ़ाने के लिए

समुचित खर्च करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड से 63 करोड रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया गया है। राज्य में 20 पुलों के निर्माण के लिए नाबार्ड से लगभग 20 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु एक परियोजना स्वीकृत करवाई गई है। चालू वित्त वर्ष में लगभग 53 करोड़ रुपये की लागत से 237 किलोमीटर की लम्बाई में राष्ट्रीय उच्च मार्गो की गुणवत्ता को सुधारा जा रहा है। बहादुरगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 को चौड़ा करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो चुका है तथा इसके लिए भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। इसी प्रकार रोहतक में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 10 का बाईपास बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है। वर्ष 2003–2004 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों तथा रखरखाव के लिए समुचित राशि का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है।

जन स्वास्थ्य

सभी माननीय सदस्य इस तथ्य से भली–भांति परिचित हैं कि राज्य के सभी गांवों मे पाइपों द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवाएं प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अगले दो वर्षो में समूचे राज्य में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, जबकि चालू वित्त वर्ष में लगभग 1०7 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। अगले वर्ष भी इस कार्य पर समुचित खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का स्तर सुधारने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में मल निकासी

सेवाएं प्रदान करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 4 करोड़ रुपये की धन राशि का प्रावधान किया गया है। यमुना एक्शन प्लान के प्रथम चरण के नगरों में अतिरिक्त धन का प्रावधान किया गया हे तथा इस परियोजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत अन्य नगरों की विस्तृत प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता की स्वीकृति शीघ्र ही मिल जाएगी। इसी प्रकार इस परियोजना के दूसरे भाग के अन्तर्गत अन्य नगरपालिकाओं व इनके कर्मचारियों के साथ–साथ जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव है जिसके लिए भारत सरकार धनराशि जुटायेगी।

परिवहन

सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में मेरी सरकार की उपलब्धियों को पूरे देश में सराहा गया है। वर्तमान वर्ष में परिवहन क्षेत्र में साधनों और सेवाओं को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। पृथक नये परिवहन निदेशालय ने राज्य के अन्दर और अन्तर्राज्यीय मार्गो के निजीकरण कैपने, निजी संस्थाओं द्वारा डीलक्स और वातानुकूलित बसें चलाने और कर प्रणाली को तर्कसंगत बना कर इसे सुविधाजनक और लाभकारी बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं। सड़क सुरक्षा पर हरियाणा हाईवे पेट्रोल के माध्यम से विशेष महत्व दिया जा रहा है। सड़कों पर यातायात और वाहनों की गति बढ़ने के बावजूद दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई है। मुझे इस सदन को यह

बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने इस कार्य की न केवल सराहना की है, बल्कि उन्होंने अन्य सभी राज्यों को हरियाणा हाईवे पेट्रोल जैसी संस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिये हैं।

वर्तमान वर्ष में रोहतक में 12 बेज वाले बस स्टैण्ड को पूरा कर इसका शुमारम्भ किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि इसे बढ़ाकर 18 बेज का बनाया जाएगा। कालका, थानेसर, और कालांवाली में नए बस अड्डों का निर्माण कार्य चल रहा है। रोहतक और बल्लभगढ़ में नई वर्कशाप तथा हथीन व बरवाला में नए बस अड्डों का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। परिवहन सेवाओं मे सुधार व विस्तार के लिए सरकार का परिवहन विभाग पूरे प्रयास कर रहा है।

चालकों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में सुधार लाने और बसों के बेहतर रख–रखाव के कारण वर्ष 1999–2000 में 0.15 प्रति लाख किलोमीटर की दुर्घटना दर घटकर वर्ष 2001–2002 में 0.11 रह गयी है और यह आकड़ा राष्ट्र में सभी राज्य परिवहनों की औसत से आधा है।

शिक्षा

मेरी सरकार का यह मानना है कि आधुनिक समाज में यदि शिक्षित वर्ग को आदर का स्थान प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि शैक्षणिक स्तर में सुधार लाकर युवा वर्ग को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाये।

इस दिशा में यथेष्ट सुधार लाये जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 6 से 11 वर्ष की आयु–वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालयों में लाने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षा सेवाओं को सर्व सुलभ कराने के लिए वर्ष 2002–2003 में 126 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक, 69 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च तथा 106 उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का दर्जा दिया गया है। इस समय राज्य में 56 राजकीय महाविद्यालय तथा 120 गैर सरकारी महाविद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरी सरकार ने केन्द्रीय सरकार की वित्तीय भागीदारी से चलाई जा रही ''सर्व शिक्षा अभियान'' नामक योजना को राज्य के 16 जिलों में लाग कर दिया है तथा शेष 3 जिलो में अगले वित्त वर्ष में आरम्भ कर दी जाएगी। विमुक्त जातियों के बच्चो को छात्रवृत्ति देने हेतु वर्तमान वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसी प्रकार अस्वच्छ कार्यों में कार्यरत लोगों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए 80 लाख रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए उपलब्ध करवाई गई है। मेवात क्षेत्र के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों मे पका–पकाया भोजन देने की व्यवस्था जनवरी, 2003 से आरम्भ की जा चुकी है। 'पूर्ण साक्षरता अभियान' भी सभी 19 जिलों में चलाया जा रहा है। पंचकूला में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया गया है तथा डबवाली में चौधरी देवीलाल की स्मृति में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के सभी विद्यालयो

मे पेयजल तथा शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गयी हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 55 वर्ष बाद भी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बेठने के लिए टाट–पट्टी की व्यवस्था भी समुचित नहीं हो पाई थी। मेरी सरकार ने इस दिशा में पहल की है और शीघ्र ही राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए डेस्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि यह सुविधा प्रदान कराने में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यो में है। इसी प्रकार शिक्षकों को विभिन्न कामों के लिए चण्डीगढ़, पंचकूला आना पडता है और उन्हें ठहरने की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंचकूला में शिक्षक सदन बनाने का कार्य आरम्भ किया जा रहा हे।

हरियाणा राज्य साहित्यकारों एवं उन सभी को प्रोत्साहन देता है, जो सृजनात्मक कार्यो मे जुटे रहते हैं। राज्य में यह दायित्व हरियाणा साहित्य अकादमी, पंजाबी अकादमी एवं उर्दू अकादमी का है। संस्कृत भाषा के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में हरियाणा संस्कृत अकादमी गठित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक पृथक अकादमी का भी गठन किया गया हे।

राज्य मे उच्चतर शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव, राजकीय महिला महाविद्यालय,

हिसार तथा राजकीय महिला महाविद्यालय, फतेहाबाद के नए भवनो तथा राजकीय महाविद्यालय, गोहाना में पृथक महिला विंग का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पंचकूला में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है।

तकनीकी शिक्षा

आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों के विकास के कारण प्रदेश में व्यवसाय एवं रोजगार के नये अवसर बने हैं। इनका लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के युवाओ में तकनीकी योग्यता हो। इसलिए मेरी सरकार ने प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय, व्यापार एवं स्व– रोजगार को बढ़ावा देने के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा को विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया है। समय की मांग को देखते हुए वर्तमान एवं नई संस्थाओं में सुविधाओं की गुणवत्ता को संगठित एवं बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया गया हे। प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदल कर एक विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया हे। प्रौद्योगिकी के उबरते हुए क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख नये कोर्स चालू किये जा रहे हैं। वाई०एम०सी०ए० इन्स्पीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद एवं छोटू राम स्टेट कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, मुरथल में यांत्रिक इंजीनियरिंग, विद्युत

इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में एम० टैक कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव हे।

गांव पन्नीवाला मोटा जिला सिरसा में 36 करोड़ 25 लाख रुपये की अनुमानित लागत से चौधरी देवी लाल मैमोरियल इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जा रहा हे जिसमें टैक्नोलोजी के नवीनतम क्षेत्रों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की इंजीनियरिंग शिक्षा दी जायेगी। इस कालेज की आगामी शैक्षणिक सत्र से चालू होने की सम्भावना है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत सरकार से मिलकर राज्य सरकार, विश्व बैंक के साथ एक परियोजना तय करने में सफल रही है। प्रथम चरण मे चार इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिये राज्य सरकार का 100 करोड़ रुपये की सहायता लेने का प्रस्ताव हे। सरकार ने सभी राजकीय बहुतकनीकियों एवं इंजीनियरिंग कालेजों को एक चरणबद्ध रूप में इंटरनैट से जोड्ने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि हमारे राज्य के विद्यार्थी इंटरनैट का पूरा फायदा उठा सकें।

उद्योग

माननीय सदस्यों! राज्य में औद्योगिक विकास तेजी से प्रगति की राह पर है। विगत तीन वर्षों में हरियाणा में निर्यात दुगुना बढ़ा है और इस वर्ष दस हजार करोड़ रुपये के निर्यात का अनुमान है। इस सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, 2002 तक एक

सौ चालीस बडे व मध्यम उद्योग तथा चार हजार लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है, जिस से 1,54,000 लोगों को रोजगार मिला व 8000 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश हुआ है। जुलाई, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक की अवधि में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम ने उद्योगों के लिए 5088 भूखण्ड आबंटित किए हैं, जिन पर 8000 करोड रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इससे लगभग 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलव्य होंगे। राज्य के हर कोने में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने के लिए अम्बाला, करनाल, गुड़गांव, मानेसर, बहादुरगढ़, बादली, राई, कुण्डली, यमुनानगर, बढ़ही, डबवाली तथा नरवाना में भूमि अधिग्रहण की जा रही है। साहा में भारत सरकार द्वारा उपलव्य कराई गई वित्तीय सहायता से ''ग्रोथ सैन्टर'' के विकास का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार विदेशी पूंजी निवेश व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गढ़ी हरसरू, जिला गुड़गांव में दो हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण कर 'स्पैशल इकोनोमिक जोन' विकसित कर रही हे। इस क्षेत्र में उद्यमियों को सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी तथा आयात एवं उत्पादन शुल्क से छूट होगी। रेवाड़ी में कारगो कन्टेनर डिपो की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। भारतीय कन्टेनर निगम, जोकि भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा हरियाणा में जिला सोनीपत के राई क्षेत्र में स्थित खाद्य पार्क में 25 करोड़ रुपये की लागत से एक स्टेट ऑफ आर्ट शीत भण्डार श्रृंखला स्थापित की जा रही हे। खाद्य प्रसंस्करण

विभाग की स्थापना पहले ही कर दी गई है तथा नई खाद्य प्रसंस्करण नीति शीघ्र ही लाई जा रही है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत भी बेरोजगारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस वर्ष दिसम्बर माह तक 6306 लोगों को लगभग 39 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध करवाए गए हे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

माननीय सभासदों! नवीनतम बदलावों के मद्देनजर राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव प्रौद्योगिकी नीति तैयार की है। आरम्भ में यह नीति कृषि व बागवानी, पशु– पालन, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, शैक्षणिक व औद्योगिक प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास तथा जैव सूचना के क्षेत्रों में लागू होगी।

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (हरसक) के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परियोजना ''राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली'' लाग की जा रही है। इसके तहत हरियाणा के सभी जिलों के प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

मेरी सरकार सारे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहती, बल्कि राज्य को इस क्षेत्र मे अग्रणी बनाने की इच्छुक है। इस दृष्टि से वर्ष 2000 में व्यापक

सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई थी। परिणामस्वरूप गत वर्ष राज्य का निर्यात 8000 करोड़ रुपये से अधिक पर पहुंच गया है। इसमें 3200 करोड रुपये का सॉफ्टवेयर का निर्यात शामिल है। राज्य में स्वर, डाटा और वीडियो संचार में सुधार लाने के लिये सचार तन्त्र को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया जा रहा है। इस कार्य के लिये सरकार ने पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नीति तैयार की है। राज्य में ऑप्टिकल फाईबर बिछाने के लिये मैसर्ज भारती टैलीनेट और मैसर्ज हरियाणा साईबरनेट नामक दो कम्पनियों के साथ समझौता हुआ है। राज्य मे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इसी प्रकार निजी क्षेत्र में साइबर सिटी, साइबर पार्क, मैडी सिटी व बायोटैक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। गुड़गांव मे एक साईबर सिटी स्थापित की जा रही है जो सूचना प्रोद्योगिकी कम्पनियों के लिए विश्व स्तर की आधारभूत संरचना उपलब्ध करवायेगी। गुड़गांव देश के प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यात स्थलों में तीसरे नम्बर पर है 1 राज्य सरकार ने 34 विभागों, बोर्डों और निगमों की लगभग 50 करोड़ रुपये के परिव्यय की सूधना प्रौद्योगिकी योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें से अधिकतर योजनाओं का कार्य आरम्भ हो गया है। सरकारी पैंशन योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इसी प्रकार सभी 67 तहसीलो और 32 उप–तहसीलो में हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली क्रियान्वित की जा रही हे। चालक लाइसेंस और वाहन पंजीकरण वाले सॉफ्टवेयर के आरम्भ होने के परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है और प्रशासन में पारदर्शिता आई हे।

स्वास्थ्य

माननीय सदस्यों! एक कल्याणकारी राज्य होने के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की ओर भी मेरी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। इस समय राज्य में दो अस्पतालों, नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पन्द्रह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन तथा फतेहाबाद एवं झज्जर के सामान्य अस्पतालों में रक्त बैंकों के भवन निर्माणाधीन हैं। पंचकुला के सामान्य अस्पताल के नव निर्मित भवन में तथा सिरसा के सामान्य अस्पताल में सी०टी० स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए करनाल में एक ''ट्रॉमा सैन्टर'' चालू किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत अगले वित्त वर्ष में दस नए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

पण्डित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक में रेडियोलोजी विभाग में एक ''होल बॉडी सी०टी० स्कैन'' तीन करोड़ पचास लाख रुपये की लागत से लगाया गया है। मेरी सरकार ने इस संस्था में एम०आर०आई० की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इस पर पांच करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के विस्तार के लिए वर्ष 2003–2004 में धन की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

इस राशि में भवन निर्माण के लिए तथा महाराजा अग्रसेन चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अग्रोहा को अनुदान देने का प्रावधान होगा। अगले वित्त वर्ष में रोहतक स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग कालेज के भवन का निर्माण, एक हजार सीटों वाले आडिटारियम व 400 सीटों वाले सभागार का निर्माण करवाए जाने का प्रस्ताव है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल विकास

माननीय सभासदों! हम सब इस तथ्य से परिचित हैं कि महिलाओं ओर बच्चों के विकास एवं कल्याण के बिना किसी स्वस्थ समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य में उपलब्ध बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं व जन साधारण के जीवन स्तर में हुए सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है तथा व्यक्ति की औसत आयु में वृद्धि हुई है और इससे समाज में वृद्धों की संख्या बढ़ी है। वृद्धों की समस्याओं के प्रति सरकार पूर्णतः सचेत हे।

मेरी सरकार वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं आवास की सुविधा को उच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार द्वारा संचालित वृद्ध एवं अपंग गह, रेवाड़ी के अतिरिक्त सरकार स्वैच्छिक संस्थाओं को भी वृद्ध–गृह चलाने हेतु अनुदान उपलब्ध करवा रही है। अब तक मै 13 ताऊ देवीलाल वृद्ध विश्राम गृहों का निर्माण करवाया जा चुका है और 202 निर्माणाधीन हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वैच्छिक संगठनों को स्ट्रीट चिल्ड्रन और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस उद्देश्य हेतु चालू वित्त वर्ष में उपरोक्त योजनाओं पर 329 लाख 25 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे और इस प्रयोजनार्थ आगामी वित्त वर्ष में भी समुचित राशि का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास हेतु वर्ष 2002–03 मे 15 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु मै करोड़ मैट लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। वर्ष 2003–2004 में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास हेतु पर्याप्त राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

कन्यादान स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियो की कन्याओं की शादी के अवसर पर 5100 रुपये का कन्यादान दिया जाता है। इस योजना के आरम्भ से लेकर 31 दिसम्बर, 2002 तक 7 करोड 5 लाख रुपये की राशि 13 हजार 814 परिवारों को वितरित की जा चुकी हे।

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति के 6263 व्यक्तियों को विभिन्न आय उपार्जन स्कीमो के अन्तर्गत 15 करोड़ 73 लाख रुपये की

राशि वित्तीय सहायता के रूप में जनवरी, 2003 तक प्रदान की जा चुकी है। निगम ने प्रथम बार पति पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से ऋण प्रदान कथा आरम्भ किया है, जिससे महिलाओं का समाज में सशक्तिकरण होगा। निगम द्वारा 2003–04 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 10 हजार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

बच्चों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं देना सुनिश्चित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं को सुदृढ बनाने के लिए नए कदम उठाए गए हैं, जिसमें दो नए पंजीरी प्लांट स्थापित करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इनके लिए वर्ष 2002–03 के बजट मे 298 लाख 40 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2002–03 के बजट में आगनवाडी केन्द्रों के भवन निर्माण की नई योजना को शामिल करना दूसरा नया कदम है ताकि बच्चों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाया जा सके।

माननीय सभासदो! हम महिलाओं को समाज के विकास एवं उत्थान मे बराबर का भागीदार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। इसलिए, 'स्वयंसिद्धा' प्र जो कि स्वयं सहायता समूहों पर आधारित महिला सशक्तिकरण की एक समेकित योजना है, 5 वर्षों के लिए 13 खण्डों में शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से समेकित महिला सशक्तिकरण एवं विकास परियोजना का दूसरा चरण जिला महेन्द्रगढ़ एवं रेवाड़ी में दिसम्बर, 2002 तक लाग किया गया। महिला सशक्तिकरण का एक अन्य कार्यक

स्व:शक्ति परियोजना है जो विश्व बैंक और आई०ए०डी० की सहायता से जीन्द, भिवानी व सोनीपत जिलों में चलाई जा रही है। परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के 1498 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। वर्ष 1998–99 से महिला समूह बनाने व उन्हें प्रशिक्षण देने तथा परियोजना की अन्य गतिविधियों पर 3 करोड़ 95 हजार रुपये व्यय किए गए हैं। हरियाणा महिला विकास निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ करने व इसकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2002–03 में इसकी अधिकृत हिस्सा पूंजी की राशि 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। मेरी सरकार ने जन–कल्याण कार्यों में लगी हरियाणा रैडक्रास सोसायटी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद्, भारतीय ग्रामीण महिला संघ (हरियाणा शाखा) हरियाणा श्रवण एवं वाणी विकलांग क्ल्याण स्मिति, हिन्द कुष्ठ–निवारण संघ जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्है वित्तीय और अन्य सुविधाए देकर गरीबों, विकलागों तथा असहाय व्यक्तियों की सहायता की है। आपको यह सूचित करते हुये मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि इन संस्थाओं ने गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मानव–सेवा के क्षेत्र में प्रशंसनीय भूमिका निभाई।

खेल तथा युवा मामले

हरियाणावासी प्राकृतिक रूप से ही खेलों में प्रतिभावान रहे हैं। किन्तु आधारभूत सुविधाओं और प्रोत्साहन के अभाव में हमारे खिलाड़ी कभी भी अपनी प्रतिभा के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

पर न्याय नहीं कर सके। इस विसंगति को दूर करने के लिए मेरी सरकार ने 14 अगस्त, 2001को एक नई खेल नीति लाग की थी।

हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमण्डल तथा एशियाई खेलों में क्रमशः 11 व 14 मै पदक प्राप्त करके उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसी प्रकार हाल ही में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में सातवां स्थान प्राप्त करते हुए 74 पदक प्राप्त किये। सरकार ने खेल नीति में वायदे के मुताबिक वर्ष 2002–03 के दौरान 2 करोड़ 13 लाख रुपये के नकद पुरस्कार बांटे हैं। गांव जोशी– चौहान में भारतीय खेल प्राधिकरण के चौधरी देवी लाल उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है। हाकी के दो एस्टोट्रफ गुड़गांव व शाहबाद में बिछाये जा रहे हैं। राज्य में खेलों के लिए उपलब्ध करवाई गई उच्च कोटि की सुविधाओं एवं खेलों के प्रति जन–साधारण की बढ़ती रूचि के कारण प्रदेश खेल गतिविधियों का अग्रणी केन्द्र बन गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्तर की कई खेल प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। गांव चौटाला में आयोजित 51वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता, रोहतक में हुई 38वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ खो–खो प्रतियोगिता, सिरसा में आयोजित 26वी सब जुनियर टेबल–टेनिस प्रतियोगिता, पलवल में आयोजित 14वीं सब– जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता व अम्बाला में आयोजित 28वां राष्ट्रीय महिला खेल समारोह विशेष रूप से उल्लेखनीय आयोजन रहे हैं। मैं इन प्रतियोगिताओं के आयोजकों, प्रतिभागियों व खेल प्रेमियों

को इन सफल आयोजनों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति लोगो की रूचि बढ़ रही हे तथा वह बढ़–चढ़ कर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के आयोजनों से एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है।

विकास एवं पंचायत

जिस चुनोती से मेरी सरकार ने युद्ध स्तर पर निपटने का प्रयास किया है, वह है ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराना ताकि वही के स्वच्छंद वातावरण से शहरों की ओर पलायन को नियंत्रित किया जा सके। इस दिशा में 'सरकार आपके द्वार' नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड से 31 जनवरी, 2003 तक 197 करोड़ 63 लाख रुपये की राशि जारी की हे। चालू वित्त वर्ष में इस बोर्ड के कोष से 67 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यो हेतु उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड से उपलब्ध करवाई जा रही उपरोक्त राशि के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वः रोजगार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में दिसम्बर तक ओं करोड़ 8 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जिससे 6306 स्व–रोजगारियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसमे से 2905 स्व–रोजगारी अनुसूचित जातियों

तथा 3414 स्व–रोजगारी महिलाएं हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2002 तक 65 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च करके 97 लाख 40 हजार श्रम दिवसों का सृजन किया गया हे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार द्वारा 71,699 मीट्रिक टन गेहूं अलाट किया गया, जिसमें से दिसम्बर, 2002 तक 66,441 मीट्रिक टन गेहूं मजदूरी के रूप में बांटा जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस योजना के विशेष हिस्से के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्य के सूखा ग्रस्त जिलों में प्रयोग हेतु 25 हजार मीट्रिक टन गेहूं आबंटित किया है। इसमें से 23,958 मीट्रिक टन गेहूं मजदूरों में बांट कर 19 लाख 28 हजार श्रम दिवसों का सृजन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 6038 मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया गया तथा दिसम्बर 2002 तक 674 मकान निर्माणाधीन थे। इनका निर्माण कार्य शीघ्र सम्पूर्ण हो जाएगा।

नगर विकास

मेरी सरकार जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है वहीं शहरी क्षेत्रों के विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार को भी प्राथमिकता दे रही हे। राज्य के सभी नगरों को सुन्दर एवं स्वच्छ बनाकर हरियाणा को एक आदर्श राज्य बनाने की दृष्टि से नगर विकास की कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इस प्रयास में गंदी

बस्तियों के पर्यावरण में सुधार, ठोस कूड़ा–कर्कट के प्रबन्धन तथा सड़को की मरम्मत व सुदृढीकरण की योजनाएं लागू की जा रही हैं। ठोस कूड़ा–कर्कट प्रबन्धन की योजना के लिए प्रदेश के 10 मुख्य नगरों हेतु 65 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि हुडको द्वारा स्वीकृत की गई है। 4 करोड़ 48 लाख रुपये की राशि ट्रीटमैन्ट यूनिट के लिए भूमि खरीदने हेतु जारी की गई थी। लडकों की मरम्मत आदि के लिए 18 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि की योजना लाग की जा रही है, जिसमें से 9 करोड 91 लाख रुपये की राशि नगरपालिकाओं को इस कार्य हेतु दे दी गई है। शेष 10 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि गाड़ियां एवं उपकरण आदि खरीदने पर व्यय की जाएगी। शहरों में सफाई कार्य का मशीनीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। बढ़ती हुई आबादी व यातायात के कारण शहरों के भीतरी इलाकों पर दबाव बढ़ा है। मेरी सरकार ने इस समस्या के हल के लिए दूध की डेरियों को शहर के अन्दरूनी हिस्सों से बाहर स्थानान्तरित करने की एक योजना बनाई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लाग किया जा रहा है। इस सारी परियोजना पर लगभग 18 करोड़ खर्च होने का अनुमान है तथा अभी तक लगभग 3 करोड़, 86 लाख रुपये की राशि नगरपालिकाओं को भूमि खरीदने तथा उसे विकसित करने के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। इस परियोजना में हुडको भी सहभागी है। राज्य के 7 शहरों अर्थात् गुड़गांव, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी तथा रोहतक में अग्नि शमन सेवाओं को सुदृढ़ करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 9

शहरों में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित करने की एक योजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने भी लगभग ओं करोड़ रुपये की इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमे 5 करोड 25 लाख रुपये इस बोर्ड द्वारा ऋण के रूप मे दिए जा चुके हैं। इस धनराशि में से लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि नगरपालिकाओ को अग्नि शमन केन्द्र आदि का निर्माण करने के लिए दी जा चुकी है तथा 13 अग्नि शमन इंजन खरीद लिए गए हैं। इतना ही नहीं, राज्य के अन्य 36 कस्बो मे अग्नि शमन सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए हुडको ने लगभग 18 करोड़ 50 लाख रुपये की एक अन्य योजना भी स्वीकृत कर दी है। मुझे विश्वास है कि इन सभी योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन से प्रदेश के सभी शहर स्वच्छ, सुन्दर एवं रहने योग्य बन जाएंगे।

नगर एवं ग्राम आयोजना

मेरी सरकार नगर एवं ग्राम आयोजना की भूमिका को नागरिकों के सुखी जीवन के लिए आवश्यक मानती है और यह पहली बार ग्रामवासियों को भी सुखी जीवन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर नगर विकास का पूर्ण दायित्व हे। चालू वित्त वर्ष में इस प्राधिकरण ने 19,484 भू–खण्ड आबंटित किए हैं, जिसमें से 18,022 आवासीय, 1227 औद्योगिक एवं 235 संस्थानिक भू–खण्ड हैं। प्राधिकरण ने इस वित्त वर्ष में दिसम्बर तक नए क्षेत्रों में विकास, विकसित क्षेत्रों

के रख–रखाव, सड़कों की विशेष मरम्मत, सामुदायिक भवनों के निर्माण एवं सरकारी भूमि के विकास पर लगभग 214 करोड़ 68 लाख रुपये खर्च किए हैं।

आवास की समस्या के समाधान के लिए सरकार सामूहिक गृह निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। राज्य का आवास बोर्ड भी इस समय अम्बाला शहर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, बहादुरगढ, हिसार व फरीदाबाद में 21 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से 1538 मकानों का निर्माण कर रहा है, जिनमें से 1304 मकान निम्न आय वर्ग के लिए हें। 4०इ० मकानों के निर्माण का कार्य लगभग सात करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शीघ्र शुरू किया जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष में बोर्ड विभिन्न वर्गो के लिए 3750 मकानों का निर्माण करेगा।

शहरों की सौन्दर्यकरण योजना के तहत हमारे प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर मनोहारी पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा सैक्टर–3, पंचकूला में खेल परिसर, सैक्टर–5, पंचकूला एवं सैक्टर–29। गुड़गांव में सभागार, सैक्टर–38 गुड़गांव में खेल परिसर, गुड़गांव में जेल भवन एवं जीन्द, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में लघु सचिवालय जैसी नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

कानून एवं व्यवस्था

जब मेरी इस सरकार का गठन हुआ तब राज्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कानून और व्यवस्था थी। शराबबंदी को उचित ढंग से लाग न किये जाने के कारण लगभग पूरा समाज ही शराब माफिया के चंगुल में फंस चुका था। युवा वर्ग तो विशेष रूप से इसका शिकार हुआ था। उस स्थिति से समाज को उबार कर काल के शासन को पुनः स्थापित करना एक बड़ी उपलब्धि है। मेरी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। आज यह सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा प्रदेश में अमन चौन बनाये रखने के लिए पूर्णतः सजग एवं सूक्षम है। किन्तु पिछले कुछ वर्षो की प्रगति के साथ नई समस्याएं भी सामने औई हैं। आज बढ़ती हुई आबादी व विभिन्न आर्थिक दबावों के कारण समाज में अपराध की नई प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं। इनसे निपटने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाए जिसके लिये चालू वित्त वर्ष में 51 करोड़ 60 लाख रुपये की एक योजना बनाई है और इस के लिए 45 करोड 71 लाख रुपये आबंटित किये जा चुके हैं। आज हमारे देश को एक पड़ोसी देश द्वारा परोक्ष रूप से चलाए जा रहे आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह सक्षम है। संतोष की बात यह है कि इस वर्ष पूरे राज्य में कहीं कोई मजदूर आन्दोलन अथवा मिलों में तालाबन्दी नहीं हुई। किसी भी शिक्षण संस्थान मे भी कोई आन्दोलन नहीं हुआ। राज्य में अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा कमजोर वर्गो की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है।

गुड़गांव जिला के गांव भौंडसी में 3 जून, 2002 को उप प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने चौधरी देवी लाल पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की आधारशिला रखी। इसमें एक क्षेत्रीय वैधिक विज्ञानशाला भी स्थापित की जाएगी, जिससे अपराध अनुसंधान का कार्य वैज्ञानिक ढंग से करने में सहायता मिलेगी। इस केन्द्र में भारतीय रिजर्व बटालियन का मुख्यालय होगा तथा उत्तर क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस के कार्य पर अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्र, पुलिस बलों जवानों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक काउंटर इंटेलीजैंस एण्ड एस्पाइनेज स्कूल की भी स्थापना इस संस्थान के अन्तर्गत की जा रही है।

कानून एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिये मेरी सरकार ने पुलिस विभाग मे 4000 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। सरकार, जनता तथा पुलिस के पारस्परिक सम्बन्धों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए 23 जुलाई, 2002 को हरियाणा पुलिस ने एक नागरिक प्रपत्र जारी किया जिसमें नागरिकों के अधिकार एवं पुलिस के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। नवम्बर, 2002 में 51 वी अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का भिवानी में शानदार आयोजन किया गया। माननीय सदस्यो! मुझे अपने राज्य के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं निष्ठा पर पूरा भरोसा है।

सम्मानित समासदो! आज के इस अभिभाषण में सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी मुद्दों पर आपके विचारो, सुझावों व विश्लेषण से राज्य के विकास एवं उन्नति को और गति मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप के विवेकपूर्ण चिन्तन से जनता की समस्याओं के हल ढूंढने में सफलता मिलेगी।

मेरी ओर से एक बार फिर बजट सत्र के लिए आप सभी को शुभ कामनाएं।

जय हिन्द!

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन के सम्मानित सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच मे कुछ महान विभूतियां इस संसार को छोड़ कर चली गई हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। कई राजनेता, कई समाजसेवी, कई स्वतंत्रता सेनानी तथा कई देशभक्त आज हमारे बीच नहीं रहे।

डॉ० कल्पना चावला, एक मेधावी वैज्ञानिक और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री

यह सदन मेधावी वैज्ञानिक, अनुभवी अंतरिक्ष यात्री व प्रदेश की बहादुर बेटी डॉ० कल्पना चावला व छः अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के 1 फरवरी, 2003 को अंतरिक्ष यान कोलम्बिया, के धरती पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 जुलाई, 1961 को ऐतिहासिक नगर करनाल में हुआ। करनाल से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका चली गई। उन्होंने 1994 मे टैक्सॉस विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री तथा 1988 में कोलॉराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद नासा के शोध केन्द्र से उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारम्भ किया। वर्ष 1994 में नासा में उनका चुनाव अंतरिक्ष यात्री के रूप में हुआ तथा मार्च 1995 में वे 15वें अंतरिक्ष यात्री तुप में शामिल हुई। वर्ष 1997 में अंतरिक्ष अभियान पर जाकर उन्होंने पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया।

हरियाणा की इस अदम्य साहसी बेटी ने अपना, अपने प्रदेश एवं राष्ट्र का नाम अंतरिक्ष विमान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। मध्यम–वर्गीय परिवार में जन्मी हरियाणा की इस होनहार सुपुत्री ने अपने नाम के अनुरूप अपनी अंतरिक्ष कल्पनाओं को मूर्तरूप देकर भारतीय नारी की वीरता एवं बलिदान

का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विदेशी धरा पर अंतरिक्ष अनुसंधान में समर्पित होने के बावजूद भी वे अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहीं। वे अपने स्कूल की छात्राओं को इस ओर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिये उन्हे नियमित रूप से नासा में आमन्त्रित करती रहती थीं। 16 जनवरी, 2003 को मानवता को समर्पित जिस जोखिम मरे अभियान के लिये छः अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उन्होंने कोलम्बिया अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी, उससे पूरा प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचा राष्ट्र एक नई आशा लगाये बैठा था। किन्तु विधि की विडम्बना के समक्ष मानव लाचार हे।

उनके निधन से विश्व एक होनहार वैज्ञानिक, कुशल अंतरिक्ष इंजीनियर एवं साहसी महिला की सेवाओं से वंचित हो गया है। अल्पायु में ही विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महान् उपलब्धियां देश की भावी पीढ़ी, विशेषकर भारतीय महिलाओं के लिये प्रेरणा की स्रोत रहेंगी।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डॉ० हरिवंश राय बच्चन, प्रख्यात हिन्दी कवि और भूतपूर्व संसद सदस्य

यह सदन प्रख्यात हिन्दी कवि और भूतपूर्व संसद सदस्य डॉ० हरिवंश राय बच्चन के 18 जनवरी, 2003 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हे।

उनका जन्म 27 नवम्बर, 1907 को इलाहाबाद में हुआ। वे कैम्बिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन 1941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप में आरम्भ किया। उन्होंने आकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र में प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने

1955 से 1966 तक भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर भी कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने हिन्दी को राजकीय भाषा के रूप मे विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व साहित्य और हिन्दी भाषा को दिये गये उनके अतुलनीय योगदान के लिये उन्हें 1966 में राज्य सभा के लिये मनोनीत किया गया।

डॉ० बच्चन के लिये काव्य उनके जीवन का अभिन्न अंग था। उनकी प्रसिद्ध रचना 'मधुशाला' हिन्दी काव्य की कालजयी रचना मानी जाती है। उन्होंने अनेक कृतियों की रचना की, जिनमें श्रीमद्भगवद्गीता और शेक्सपीयर की कृतियों के अनुवाद भी शामिल हैं। डॉ० बच्चन को पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा लोटस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश हिन्दी साहित्य के एक युगपुरुष तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री शिव लाल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री शिव लाल के 5 फरवरी, 2003 को हुए दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 2 जून, 1921 को हुआ। उन्होंने बी०ए० (आनर्ज) करने के पश्चात् एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान डॉ० भीम राव अम्बेदकर के साथ कार्य किया। वह जीवन पर्यन्त डॉ० अम्बेदकर व नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सिद्धान्तों के अनुयायी रहे। वह 1944 में दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट की सीनेट के सदस्य बने। वह 1949 में एक अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में आये तथा उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मेलनो में भाग लिया। वह 1987 भली में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री बने। वह कई संस्थाओं के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एव योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भगवान दास सहगल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान समा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान दास सहगल के 11 जनवरी, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 27 जनवरी, 1925 को हुआ। वह 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री राम दास धमीजा, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम दास धमीजा के 12 फरवरी, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 नवम्बर, 1921 को हुआ। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह विभिन्न संगठनों में कई पदों पर रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री राजा राम शास्त्री, एक महान् विद्वान और उच्चकोटि के लेखक

यह सदन महान् विद्वान और उच्चकोटि के लेखक श्री राजा राम शास्त्री के 6 नवम्बर, 2002 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 27 दिसम्बर, नं 1918 को हुआ। उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। उन्हें 1983 में 'ज्योतिष भास्कर'। 1985 में 'ज्योतिष रत्नाकर' और 1987 में 'भाषाविद्' की मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया। वह हरियाणवी लोक संस्कृति के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 1963 में 'हरियाणा लोक मंच' की स्थापना की तथा आजीवन इसके निदेशक एवं सचिव रहे। वह 1947 से 1957 तक नाटककार के रूप मे आकाशवाणी, नई दिल्ली से जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी, रोहतक में कार्यक्रम सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लगभग 300 एकांकी नाटक व 11 उपन्यासों की रचना की। उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा

पण्डित लखमी चन्द पुरस्कार और सर्वोत्तम उपन्यासकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अनेक सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक महान् विद्वान की सेवाओं से वंचित हो गया हे।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हे।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं –

1. श्री आर०डी० जोशी, रेवाड़ी।

2. श्री अमरनाथ शर्मा, कुरुक्षेत्र।

3. कैप्टन डीगराम, गांव जौंधी, जिला झज्जर।

4. श्री शेर सिंह, गांव मन्दौला, जिला रेवाड़ी।

5. सरदार सूरत सिंह, गांव माणक्यां, जिला पंचकुला।

6. श्री दलीप सिंह, गांव समरगोपालपुर खुर्द, जिला रोहतक।

7. श्री राम सिंह जाखड़, गांव लडायन, जिला झज्जर।

8. श्री भीम सेन विद्यालंकार, रोहतक।

9. श्री गणपत राय मग्ग, रोहतक।

10. श्री निहाल सिंह, गांव कालियावास, जिला गुड़गांव।

11 श्री सुच्चा सिंह सहोता, पानीपत।

12. श्री राम प्रसाद रोहिला, गांव पटौदा, जिला रेवाड़ी।

13. श्री हजारी सिंह, गांव जाखोद खेड़ा, जिला हिसार।

14. कैप्टन रामचन्द्र, गांव बदरौला, जिला फरीदाबाद।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता है और इनके शोक– संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सनिको को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लडते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं:–

1. कैप्टन उमंग भारद्वाज, गांव गाड़ौली, जिला गुड़गांव।

2. इंस्पैक्टर मनूराम, गांव चीताडूंगरा, जिला रेवाड़ी।

3. सब–इंस्पैक्टर ओम प्रकाश, गांव लगरपुर, जिला झज्जर।

4. सूबेदार जगत सिंह, गांव डोहर मोहनपुर, जिला महेन्द्रगढ़।

5. हवलदार सत्येन्द्र, गांव पलड़ा, जिला झज्जर।

6. हवलदार बीर सिंह, गांव मंदौला, जिला रेवाड़ी।

7. लांस हवलदार भूपिन्द्र सिंह, गांव रायवाली, जिला अम्बाला।

8. बैटरी हवलदार मेजर हरमेल सिंह, गांव नगली, जिला यमुनानगर।

9. राईफलमैन अटल सिंह, गांव सण्डीलं, जिला जींद।

10. राइफलमैन बलविन्द्र सिंह, गांव जोगीवाड़ा, जिला यमुनानगर।

11. ग्रेनेडियर कृष्ण लाल, गांव जिरबड़ी, जिला कुरुक्षेत्र।

12. सिपाही मुकेश, गांव झाड़ली, जिला झज्जर।

13. सिपाही संदीप कुमार, गांव खानपुरा राजपूतान, जिला यमुनानगर।

14. सिपाही नरेन्द्र सिहाग, गांव पारता, जिला फतेहाबाद।

15. सिपाही रविन्द्र, गांव पाल्हावास, जिला रेवाड़ी।

16. सिपाही उमेद सिंह, गांव कलवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़।

17. सिपाही सुरेश कुमार, गांव भैयरामपुर भड़गी, जिला रेवाड़ी।

18. सिपाही राधेश्याम, गांव बधौली, जिला अम्बाला।

19. सिपाही अशोक शर्मा, गांव मठगांव, जिला सोनीपत।

20. सिपाही सुभाष चन्द्र, गांव घाटोली, जिला झज्जर।

21. सिपाही सत्यनारायण, गांव निजामपुर, जिला सोनीपत।

22. सिपाही सतप्रकाश, गांव भाकली, जिला रेवाड़ी।

23. सिपाही निर्मल सिंह, गांव शहजादपुर, जिला अम्बाला।

24. सिपाही सतबीर सिंह, गांव ढाणी हरसुख, जिला भिवानी।

25. सिपाही सुरेश कुमार, कनीना, जिला महेन्द्रगढ़।

26. सिपाही अमित कुमार, गांव महमूदपुर, जिला सोनीपत।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता है और इनके शोक– संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

जम्मू के प्रसिद्ध रधुनाथ मन्दिर में आतंकवादी हमले में मारे गए लोग

यह सदन जम्मु के प्रसिद्ध रघुनाथ मन्दिर में 24 नवम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता है और शोक– संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अम्बाला में जगुआर विमान दुर्घटना में मारे गये लोग

यह सदन 5 नवम्बर, 2002 को अम्बाला जिले के बव्याल गांव में जगुआर विमान के आवासीय क्षेत्र में गिरने से मारे गये व्यक्तियों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेंदना प्रकट करता है।

रेल दुर्घटना

यह सदन 21 दिसम्बर, 2002 को आध प्रदेश में रामालिंगयापल्ली गांव के निकट हैदराबाद–बेंगलूर एक्सप्रैस रेल के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियों के दु:खद व असामयिक निधन पर शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अनिल विज की माता श्रीमति राज रानी विज के 6 दिसम्बर, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हे।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सभी मैम्बर्ज से कहना चाहूंगा कि अगर उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का, किसी शहीद सैनिक और सिपाही का नाम इस शोक प्रस्ताव में न आया हो तो वे बता दें और उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्षः ठीक हे किसी और मैम्बर ने कोई नाम देना हो तो दे सकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री प्रताप सिंह छिकारा, एक्स एम०एल०ए० का भी देहान्त हो गया है। वे मेरे हल्के में मोहना गांव में रहते थे। मैं उनकी क्रिया में भी गया था। उनका नाम भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए। श्री जगजीत सिंह सांगवान (चरखी दादरी) अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे निवेदन है कि शहीद श्री हरि सिंह अहलावत, गांव घसौला, तहसील चरखी दादरी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी का भी नाम इसमें शामिल कर लिया जाए।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि शहीद श्री नरेन्द्र सिंह, गांव बागोत, जिला महेन्द्रगढ़ का नाम भी इस शोक प्रस्ताव की सूची मे शामिल कर लिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे निवेदन है कि श्री लक्षमण सिंह यादव, फ्रीडम फाइटर,

रिवाड़ी में रहते थे उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से मेधावी वैज्ञानिक, अनुभवी अंतरिक्ष यात्री व प्रदेश की बहादुर बेटी डा० कल्पना चावला व छः अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के 1 फरवरी, 2003 को अंतरिक्ष यान कोलम्बिया, के धरती पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं उनका जन्म 1 जुलाई, 1961 को ऐतिहासिक नगर करनाल में हुआ। करनाल से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त क्रने के बाद उन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने 1964 में टैक्सॉस विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री तथा 1988 में कोलॉरांडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके बाद नासा के शोध केन्द्र से उन्होंने अपना व्यावसायिक

जीवन प्रारम्भ किया। वर्ष 1994 में नासा में उनका चुनाव अंतरिक्ष यात्री के रूप मे हुआ तथा मार्च, 1995 मे वे 15वें अंतरिक्ष यात्री ग्रूप में शामिल हुई। वर्ष 1997 में अंतरिक्ष अभियान पर जाकर उन्होंने पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया।

हरियाणा की इस अदम्य साहसी बेटी ने अपना, अपने प्रदेश एवं राष्ट्र का नाम अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। मध्यम–वर्गीय परिवार में जन्मी हरियाणा

की इस होनहार सुपुत्री ने अपने नाम के अनुरूप अपनी अंतरिक्ष कल्पनाओं को मूर्तरूप देकर भारतीय नारी की वीरता एवं बलिदान का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विदेशी धरा पर अंतरिक्ष अनुसंधान में समर्पित होने के बावजूद भी वे अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहीं। वे अपने स्कूल की छात्राओं को इस ओर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नियमित रूप से नासा में आमन्त्रित करती रहती थी। 16 जनवरी, 2003 को मानवता को समर्पित जिस जोखिम भरे अभियान के लिए छः अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उन्होंने कोलम्बिया अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी, उससे पूरा प्रदेश ही नहीं, बल्कि समूचा राष्ट्र एक नई आशा लगाए बैठा था। किन्तु विधि की विडम्बना के समक्ष मानव लाचार है।

उनके निधन से विश्व एक होनहार वैज्ञानिक, कुशल अंतरिक्ष इंजीनियर एवं साहसी महिला की सेवाओं से वंचित हो गया है। अल्पायु में ही विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महान् उपलब्धियां देश की भावी पीढ़ी, विशेषकर भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से प्रख्यात हिन्दी कवि और भूतपूर्व संसद सदस्य डॉ०

हरिवंश राय बच्चन के 18 जनवरी, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 27 नवम्बर, 1907 को इलाहाबाद में हुआ। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन 941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप मे आरम्भ किया। उन्होंने 1951 से 1966 तक भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर भी कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने हिन्दी को राजकीय भाषा के रूप में विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व साहित्य और हिन्दी भाषा को दिये गये उनके अतुलनीय योगदान के लिये उन्हें 1966 में राज्य सभा के लिये मनोनीत किया गया।

डॉ० बच्चन के लिये काव्य उनके जीवन का अभिन्न अंग था। उनकी प्रसिद्ध रचना 'मधुशाला' हिन्दी काव्य की कालजयी रचना मानी जाती है। उन्होने अनेक कृतियों की रचना की, जिनमें श्रीमद्भगवद्गीता और शेक्सपीयर की कृतियों के अनुवाद भी शामिल हैं। डॉ० बच्चन को पदम भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरुस्कार तथा लोटस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश हिन्दी साहित्य के एक युगपुरुष तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री शिव लाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान दास सहगल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम दास धमीजा, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह छिकारा, श्री राजा राम शास्त्री जोकि एक महान विद्वान एवं उच्च कोटि के लेखक रहे हैं, के निधन पर भी मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संधर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: – श्री आर०डी० जोशी, रेवाड़ी, श्री अमरनाथ शर्मा, कुरुक्षेत्र, कैप्टन डीगराम, गांव जौंधी, जिला झज्जर, श्री शेर सिंह, गांव मन्दौला, जिला रेवाड़ी, सरदार सूरत सिंह, गांव माणक्यां, जिला पंचकूला, श्री दलीप सिंह, गांव समरगोपालपुर खुर्द, जिला रोहतक, श्री राम

सिंह जाखड़, गांव लडाया, जिला झज्जर, श्री भीम सेन विद्यालंकार जिनकी चर्चा सदन के नेता ने भी की है उनका नाम भी यहां आ चुका है। अध्यक्ष महोदय, उनसे मेरा भी सामाजिक रिश्ता था। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि वे खादी आन्दोलन से जुडे हुए भी थे और जब पंजाब एक था तो न 953 में वे खादी इंड्रस्टीज के संस्थापक निदेशक थे। वे पहले ऐसे ओफिसर डायरैक्टर हुए जिन्होंने वेतन नहीं लिया वे सिर्फ अन्धने खर्चे खर्चे की तनख्वाह लेते थे। मैं इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं और अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। एक एक करके यह पीढ़ी हमारे से बिछुड़ती जा रही है। इसी तरह से श्री गणपत राय मग्गू, रोहतक, श्री लक्षमण सिंह यादव, स्वतंत्रता सेनानी, श्री नरेन्द्र सिंह बागौत, जिला महेन्द्रगढ़, श्री निहाल सिंह, गांव कालियावास, जिला गुड़गांव, श्री सुच्चा सिंह सहोता, पानीपत, श्री राम प्रसाद रोहिला, गांव पटौदा, जिला रेवाड़ी, श्री हजारी सिंह, गांव जाखोद खेड़ा, जिला हिसार और कैप्टन रामचन्द्र, गांव बदरौला, जिला फरीदाबाद को भी मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से में अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के

लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान वीर सैनिको के नाम इस प्रकार हैं – कैप्टन उमंग भारद्वाज, गांव गाड़ौली, जिला गुड़गांव, इंस्पैक्टर मनूराम, गांव चीताडूंगरा, रेवाड़ी, सब–इंस्पैक्टर ओमप्रकाश, गांव लगरपुर, जिला झज्जर, सूबेदार जगत सिंह, गांव डोहर मोहनपुर, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार सत्येन्द्र, गांव पलड़ा, जिला झज्जर, हवलदार बीर सिंह, गांव मंदौला, जिला रेवाड़ी, लांस हवलदार भूपिन्द्र सिंह, गांव रायवाली, जिला अम्बाला, बैटरी हवलदार मेजर हरमेल सिंह, गांव नगली, जिला यमुनानगर, राइफलमैन अटल सिंह, गांव सण्डील, जिला जींद, राइफलमैन बलविन्द्र सिंह, गांव जोगीवाड़ा, जिला यमुनानगर, ग्रेनेडियर कृष्ण लाल, गांव जिरबड़ी, जिला कुरुक्षेत्र, सिपाही मुकेश, गांव झाडली, जिला झज्जर, सिपाही संदीप कुमार, गांव खानपुरा राजपूतान, जिला यमुनानगर, सिपाही नरेन्द्र सिहाग, गांव पारता, जिला फतेहाबाद। सिपाही रविन्द्र, गांव पाल्हावास, जिला रेवाड़ी, सिपाही उमेद सिंह, गांव कलवाडी, जिला महेन्द्रगढ़, सिपाही सुरेश कुमार, गांव मैयरामपुर भड़गी, जिला रेवाड़ी, सिपाही राधेश्याम, गांव बधौली, जिला अम्बाला, सिपाही अशोक कुमार शर्मा, गांव भठगांव, जिला सोनीपत, सिपाही सुभाष चन्द, गांव घाटोली, जिला झज्जर, सिपाही सत्यनारायण, गांव निजामपुर, जिला सोनीपत, सिपाही सतप्रकाश, गांव भाकली, जिला रेवाड़ी, सिपाही निर्मल सिंह, गांव शहजादपुर, जिला अम्बाला,

सिपाही सतबीर सिंह, गांव ढाणी हरसुख, जिला भिवानी और सिपाही सुरेश कुमार, कनीना, जिला महेन्द्रगढ़। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से जम्मु के प्रसिद्ध रघुनाथ मन्दिर में 24 नवम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कडी निंदा करता हूं और शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से 5 नवम्बर, 2002 को अम्बाला जिले के बव्याल गांव में जगुआर विमान के आवासीय क्षेत्र में गिरने से मारे गये व्यक्तियों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से 21 दिसम्बर, 2002 को आन्ध्र प्रदेश में रामालिंगयापल्ली गांव के निकट हैदराबाद–बेंगलूर एक्सप्रैस रेल के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियों के दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अनिल विज की माता श्रीमती राज रानी विज के 6 दिसम्बर, 2002 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चोटाला जी ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखा है मैं अपने आपको व अपनी पार्टी को इसमें सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से मेधावी वैज्ञानिक, अनुभवी अंतरिक्ष यात्री व प्रदेश की बहादुर बेटी डा० कल्पना चावला व छः अन्य अंतरिक्ष यात्रियों

के 1 फरवरी, 2003 को अंतरिक्ष यान कोलम्बिया, के धरती पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनमें अनेक खूबियां थी वे हरियाणा के करनाल में जन्मीं और पढ़ीं और उसके बाद उन्होंने अमेरिका में जाकर देश का ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश और करनाल का नाम रोशन किया।

उनके निधन से विश्व एक होनहार वैज्ञानिक, कुशल अंतरिक्ष इंजीनियर एवं साहसी महिला की सेवाओं से वंचित हो गया है। अल्पायु में ही विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महान् उपलब्धियां देश की भावी पीढ़ी, विशेषकर भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से प्रख्यात हिन्दी कवि और भूतपूर्व संसद सदस्य डॉ० हरिवंश राय बच्चन के 18 जनवरी, 2003 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 27 नवम्बर, 1907 को इलाहाबाद में हुआ, वे कैम्बिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य मे पी०एच०डी० की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने अपना

व्यावसायिक जीवन 1941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक के रूप मे आरम्भ किया। उन्होंने 1955 से 1966 तक भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय मे विशेष कार्य अधिकारी के पद पर भी कार्य किया। उन्हें 1966 में राज्य समा के लिये मनोनीत किया गया। उनके निधन से देश हिन्दी साहित्य के एक युगपुरुष तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री शिव लाल के 5 फरवरी, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 2 जून, 1921 को हुआ। उन्होंने बी०ए० (आनर्ज) करने के पश्चात् एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। वह 1944 में दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्ट की सीनेट के सदस्य बने। वह 1949 में एक अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में आये तथा उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मेलनों में भाग लिया। वह 1987 तप्तों में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री बने। वह कई संस्थाओं के सदस्य भी रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान दास सहगल के 11 जनवरी, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 27 जनवरी, 1925 को हुआ। वह 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम दास धमीजा के 12 फरवरी, 2003 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 19 नवम्बर, 1921 को हुआ। वह 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह विभिन्न संगठनों मे कई पदों पर रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से महान विद्वान और उच्चकोटि के लेखक श्री राजा राम शास्त्री के 6 नवम्बर, 2002 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 27 दिसम्बर, 1918 को हुआ। उन्होंने संस्कृत में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की। उन्हें 1983 में 'ज्योतिष भास्कर', 1985 में 'ज्योतिष रत्नाकर' और 1987 में 'भाषाविद्' की मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया। वह हरियाणवी लोक संस्कृति के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने 1963 में 'हरियाणा लोक मंच' की स्थापना की तथा आजीवन इसके निदेशक एवं सचिव रहे। वह 1947 से 1957 तक नाटककार के रूप में आकाशवाणी, नई दिल्ली से जुड़े रहे। उन्होंने आकाशवाणी, रोहतक मे कार्यक्रम सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लगभग 300 एकांकी नाटक व

11 उपन्यासों की रचना की। उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा पण्डित लखमी चन्द पुरस्कार और सर्वोत्तम उपन्यासकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अनेक सांस्कृतिक संगठनो से सम्बद्ध रहे।

उनके निधन से देश एक महान विद्वान की सेवाओं से वंचित हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से श्री प्रताप सिंह छिकारा, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के ससुर श्री भीम सिंह विद्यालंकार और श्री अनिल विज जी की माता श्री राजरानी जी के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और अध्यक्ष महोदय, में अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: – श्री आर०डी० जोशी, श्री अमरनाथ शर्मा, कैप्टन डीगराम, श्री शेर सिंह, सरदार सूरत सिंह, श्री दलीप सिंह, श्री राम सिंह जाखड, श्री भीम सेन विद्यालंकार, श्री गणपत राय मग्गू, श्री निहाल सिंह, श्री सुच्चा सिंह सहोता, श्री राम प्रसाद रोहिला, श्री हजारी सिंह, और कैप्टन रामचन्द्र। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार टैं: – कैप्टन उमंग भारद्वाज, इंस्पैक्टर मनूराम, सब–इंस्पैक्टर ओमप्रकाश, सूबेदार जगत सिंह, हवलदार सत्येन्द्र, हवलदार बीर सिंह, सांस हवलदार भूपिन्द्र सिंह, बैटरी हवलदार मेजर हरमेल सिंह, राइफलमैन अटल सिंह, राइफलमैन बलविन्द्र सिंह, ग्रेनेडियर कृष्ण लाल, सिपाही मुकेश, सिपाही संदीप कुमार, सिपाही नरेन्द्र सिहाग, सिपाही रविन्द्र, सिपाही उमेद सिंह, सिपाही सुरेश कुमार, सिपाही राधेश्याम, सिपाही अशोक कुमार शर्मा, सिपाही सुभाष चन्द,

सिपाही सत्यनारायण, सिपाही सतप्रकाश, सिपाही निर्मल सिंह, सिपाही सतबीर सिंह, और सिपाही सुरेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर इन्हें शत–शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से जम्मु के प्रसिद्ध रघुनाथ मन्दिर में 24 नवम्बर, 2002 को आतंकवादी हमले मे मारे गए निर्दीष लोगों के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से मानवता के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और शोक–संतप्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से 5 नवम्बर, 2002 को अम्बाला जिले के बव्याल गांव में जगुआर विमान के आवासीय क्षेत्र में गिरने से मारे गये व्यक्तियों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से 21 दिसम्बर, 2002 को आन्ध प्रदेश में रामालिंगयापल्ली गांव के निकट हैदराबाद–बेंगलूर एक्सप्रैस रेल दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गये यात्रियो के दु:खद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से और कई नाम सदस्यों ने ऐड करवाये हैं मैं उनके निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हू

16.00 बजे

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन के नेता श्री ओम प्रकाश चोटाला जी ने जो शोक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां चली गई हैं। सबसे पहले मैं डॉ० कल्पना चावला जोकि एक बहुत ही मेधावी वैज्ञानिक और अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थीं, की 1 फरवरी, 2003 को 6 अन्य अंतरिक्ष

यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान कोलम्बिया के धरती पर उतरने से कुछ ही मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हुए दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं वह हमारे हरियाणा प्रदेश की एक बहादुर बेटी थी जिसका जन्म ऐतिहासिक नगर करनाल में हुआ। करनाल से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़ से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की ओर बाद में अमेरिका के विश्वविद्यालयों से मास्टर की डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की उसके बाद नासा के शोध केन्द्र से उन्होंने अपना एयरोनॉटिकल जीवन प्रारम्म किया और 1994, 1995 तथा 1997 में अंतरिक्ष अभियान पर जाकर उन्होंने पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया। ऐसी साहसी अंतरिक्ष यात्री और हरियाणा की बेटी ने न केवल हरियाणा प्रदेश का बल्कि सारे राष्ट्र का नाम अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। उनके निधन से विश्व ने एक होनहार वैज्ञानिक, कुशल अंतरिक्ष इंजीनियर एवं साहसी महिला को खो दिया है।

डॉ० हरिवंश राय बच्चन एक प्रख्यात हिन्दी कवि और भूतपूर्व संसद सदस्य थे। उनका निधन 96 वर्ष की आयु में स्था। उन्होने अपना व्यावसायिक जीवन 1941मे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में आरम्भ किया। वे भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय में विशेष कार्य अधिकारी भी रहे। विश्व

साहित्य और हिन्दी भाषा को दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1966 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिसके लिए उन्हें पदम भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा लोट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी काव्य रचना (मधुशाला) एक प्रसिद्ध रचना थी। उनके निधन से देश ने एक प्रख्यात हिन्दी कवि, भूतपूर्व संसद सदस्य और हिन्दी साहित्य में अमूल्य योगदान देने वाले को खो दिया है।

श्री शिव लाल हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री थे। वे एक अधिकारी के रूप मे सरकारी सेवा में आए और 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुनने के बाद मंत्री पद पर सुशोभित हुए। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी विधायक और योग्य प्रशासक खो दिया हे।

श्री भगवान दास सहगल, जो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे, 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए थे। उनके निधन से राज्य ने एक योग्य विधायक को खो दिया हे। श्री राम दास धमीजा 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए थे। वे एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनके निधन से राज्य ने एक योग्य विधायक खो दिया है।

श्री राजाराम शास्त्री एक महान विद्वान और एक उच्चकोटि के लेखक थे। वे ज्योतिष के प्रख्यात पण्डित थे। उन्होंने संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने 1963 में हरियाणा लोक मंच की स्थापना की तथा आजीवन इसके निदेशक एवं सचिव रहे। उन्होंने आकाशवाणी रोहतक में कार्यक्रम सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1983 में ज्योतिष भास्कर, 1985 मे ज्योतिष रत्नाकर और 1987 में भाषाविद् की मानद उपाधियो से सम्मानित किया गया। वे हरियाणवी लोक संस्कृति के प्रख्यात पण्डित थे। उनके निधन से हमने एक उच्चकोटि के लेखक को खो दिया है।

इनके अतिरिक्त हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियो के बारे में मुख्यमंत्री जी ने जो नाम लिए हैं इन सभी स्वतन्त्रता सेनानियों के हुए दु:खद निधन पर मुझे गहरा शोक है। कोई भी देश स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं को भूल नहीं सकता क्योंकि इन्हीं लोगो की वजह से हमें आजादी मिली थी। इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का यही एक तरीका है कि हम देश की सेवा पूरे तन मन से करें। इनके निधन से देश सच्चे देश भक्त और स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवाओं से वंचित हो गया है। ऐसे वीर शहीदों के बलिदान से देश की अखण्डता बनी हुई है और हरियाणा के वीर किसी भी तरीके से दूसरे प्रदेशों के वीरों से कम नहीं हैं।

24 नवम्बर, 2002 को जम्मु के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के दुःखद व असामयिक निधन पर मुझे गहरा शोक है।

अम्बाला में 5 नवम्बर, 2002 को बव्याल गांव में जगुआर विमान के रैजीडैशियल एरिया में गिरने से मारे गए व्यक्तियों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर मुझे गहरा शोक है।

इसके अलावा 21 दिसम्बर, 2002 को आन्द्र प्रदेश में रामालिंगयापल्ली गांव के निकट एक्सप्रैस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मारे गए यात्रियों के दुःखद व असामयिक निधन पर मुझे गहरा शोक है।

हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अनिल विज की माता श्रीमती राजरानी विज के दुःखद निधन पर मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

हरियाणा विधान सभा के सदस्य प्रताप सिंह छिकारा एक्स एम०एल०ए० के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के ससुर श्री भीम सेन विद्यालंकार जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, के निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं।

मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उन शोक संतप्त परिवारों

तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं –

(क) अध्यक्ष द्वारा–

(1) चेयरपर्सन के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Asembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons :-

1. Shri Puran Singh Dabra, M.L.A.
2. Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A.
3. Rao Dharam Pal, M.L.A.
4. Smt. Veena Chhibbar, M.L.A.

(2) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions

under Rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

1. Shri Gopi Chand Gahlot, Ex-officio Chairperson Deputy Speaker

2. Shri Lila Krishan Member

3. Smt. Veena ChhibbarMember

4. Shri Rajinder Singh Bisla Member

5. Shri Zakir Hussain Member

(ख) सचिव द्वारा–

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों समबन्धी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिवः मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने नवम्बर, 1999 सितम्बर, 2002 तथा अक्तूबर, 2002 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं –

November Session, 1999

1. *The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 1999.

September Session, 2002

1. *The Haryana Lokayukta Bill, 2002

October Session, 2002

1. The Haryana Municipal (Third Amendment) Bill, 2002.

2. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2002.

3. The Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Bill, 2002.

4. The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Second Amendment) Bill, 2002.

5. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2002.

6. The East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill, 2002.

7. The Haryana Civil Services (Executive Branch) and Allied Services and Other Services Common/Combined Examination (Amendment) Bill, 2002.

8. The Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2002.

9. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2002.

10. The Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 2002.

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a FAX message from Shri Balbir Pal Shah, M.L.A., which is as under :—

''प्रतिष्ठामय स्पीकर महोदय, हरियाणा विधान सभा सत्र जो 5 मार्च से प्रारम्भ होने जा रहा है, शारीरिक अस्वस्थ। के कारण मैं इसमें उपस्थित नहीं हो सकूंगा, सूचना प्रेषित। बलबीर पाल शाह''

Is it the pleasure of the House that leave of absence be granted to Shri Balbir Pal Shah, M.L.A. to remain absent for the current Session of the Haryana Vidhan Sabha.

Voices : Yes.

The leave is granted.

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, पहले पैनल आफ चेयरपर्सन्ज में श्री बलबीर पाल शाह को नोमिनेट किया गया था। अब चूंकि उनका फैक्स मैसेज बाद में आया है जबकि उनका नोमिनेशन पहले कर दिया गया था। अतः अब मैं पैनल आफ चेयरपर्सन्ज में श्री बलबीर पाल शाह के स्थान पर राव धर्मपाल को मैम्बर नोमिनेट करता हूं।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now **I** report the time table of various business fixed by the Business Advisory

Committee.

"The Committee met at 11.00 A.M. on Wednesday, the 5th March, 2003 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and Adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

On Wednesday, the 5th March, 2003, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of business entered in the list of Business for the day.

The Committee further recommends that on Monday, the 10th March, 2003, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and shall meet again at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

The Committee after some discussion, also recommends that the business on 5th to 7th March, 2003 and 10th March to 14th March, 2003 be transacted by the Sabha as under :—

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the	1.	Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House.

5th March, 2003.	2.	Obituary References.
	3.	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	4.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Laying of the Report of the Rules Committee.
	6.	Presentation of four Preliminary Reports of the Committee ofPrivileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
Thursday, the 6th March, 2003	1.	Questions Hour.
(9.30A.M.)	2.	Motion under Rule 121 for Suspension of Rule-30.
	3.	Motion under Rule121.
	4.	Discussion on Governor's Address.

Friday, the 7th March, 2003	1.	Questions Hour.
(9.30A.M.)	2.	Resumption of Discussion on Governor's Address.
Saturday, the 8th March, 2003		Off day.
Sunday, the 9th March, 2003		Holiday.
Monday, the 10th March, 2003	1.	Questions Hour.
(9.30 A.M.) (1st Sitting)	2.	Resumption of Discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
	3.	Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 2002-2003 (2nd Instalment) and the Report of the Estimates Committee thereon.
Monday, the 10th March, 2003 (2.00 P.M.) (2nd Sitting)	1.	Presentation of Budget Estimates for the year 2003-2004.
Tuesday, the 11th March, 2003 (9.30A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	General Discussion on Budget Estimates for the

		year 2003-2004.
Wednesday, the 12th March, 2003 (9.30A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule-30.
	3.	Presentation of Reports of Assembly Committees.
	4.	Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2003-2004.
Thursday, the 13th March, 2003 (9.30A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Papers to be laid, if any.
	3.	Resumption of Discussion on Budget Estimates for the year 2003-2004 and reply by the Finance Minister thereon.
	4.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2003-2004.
Friday, the 14th March, 2003 (9.30A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule-15

		regarding Non-stop sitting.
	3.	Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha sine-dine.
	4.	Presentation of Reports of the Assembly Committees.
	5.	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 2002-2003 (2nd Instalment).
	6.	The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2003-2004.
	7.	Legislative Business.
	8.	Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, **I** beg to move—

That this House agrees with the 'recommendations contained in the First Report of the Business Advisory

Committee.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में जो समय दिया गया है वह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष: हुडा जी पहले आप इस बिजनैस एडवाइजरी की रिपोर्ट को मूव होने दें उसके बाद बोल लेना।

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, अब आप बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट में गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन के लिए समय दिया गया है और बजट पर डिस्कशन के लिए जो समय दिया गया यह बहुत ही कम है। गवर्नर एड्रैस पर और बजट पर सभी मैम्बर्ज बोलना चाहेंगे इसलिए गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन के लिए पांच दिन और बजट पर डिस्कशन के लिए दस दिन का समय रखा जाना चाहिए। पिछले वर्ष भी सभी मैम्बर्ज बजट पर बोलने से वंचित रह गए थे इसलिए इस बार सभी मेम्बर्ज को बोलने का समय दिया जाना चाहिए और हमारा आपसे निवेदन है कि यह समय बढ़ाया जाए। स्पीकर साहब, अभी हाल ही में स्पीकर्ज कान्फ्रैस हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि सैशन

कम से कम 60 दिन चलना चाहिए। अब वहां पर यह बात कही है तो उसके हिसाब से 30 दिन तो सैशन चलाएं। वहां पर जो बात कही गई है वह आप क्यों इम्पलीमैंट नहीं करते। आपने जो यह समय रखा है यह बहुत ही कम है। इसलिए मेरा आपसे दोबारा से निवेदन है कि गवर्नर एड्रैस पर कम से कम पांच दिन और बजट पर कम से कम दस दिन डिस्कशन होनी चाहिए। इस बारे में मैंने आपसे सुबह मीटिंग मे भी कहा था।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने जो बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट दी है उसमें जो प्रोग्राम दर्शाया है वह बहुत कम है। आपने हमें जो प्रोग्राम दिया था उसमें तो 17 ओं तारीख तक का प्रोग्राम था। अब आपने इसको 14 तारीख तक कर दिया है। 10 तारीख को डबल सीटिंग कर दी है। इसके अलावा आपने उस दिन सुबह 9.30 बजे का समय सेशन का रखा है। क्या आज से पहले कभी सैशन सोमवार को सुबह 9.30 बजे हुआ है। ऐसी क्या भगदड़ मची हुई है इसमें गवर्नर एड्रैस पर भी और बजट पर भी डिस्कशन होनी है। आप कृपा करके इस सैशन को कम से कम 15 दिन का तो करें।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, सुबह मीटिंग में हुड्डा जी के सामने दो नॉन–आफिशियल डेज को आफिशियल डेज में कन्वर्ट किया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आपने नॉन–आफिशियल डे को आफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया। हमने तो तीन सालों में नॉन–आफिशियल डे तो देखा ही नहीं है। यह तो आपने कमाल कर दिया।

श्री अध्यक्षः आप लोग कुछ लिख कर देंगे तो ही कुछ होगा लेकिन आप लोगों ने कुछ दिया ही नहीं है।

चोधरी भजन लालः हमने लिख कर दिया है। आप हाउस को नहीं बना सकते हैं।

श्री अध्यक्षः यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री लक्षमण दास अरोड़ा (सिरसा)ः अध्यक्ष महोदय, आपने समय बहुत कम रखा है। **श्री अध्यक्षः** अरोड़ा साहब, बहुत ज्यादा समय दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री हुड्डा जी ने और चौधरी भजन लाल जी ने कहा है कि यह समय बहुत कम रखा गया है मैं भी इनकी इस बात से सहमत हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बजट सेशन है और पूरे साल के लिए पूरे प्रदेश के लिए बजट पेश होना है। मेरा आपसे निवेदन है कि गवर्नर एड्रैस पर भी और बजट पर भी सभी सदस्य बोलना चाहेंगे इसलिए आप सदन का समय बढाए। .....।

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी अब जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए। **डा० रघुबीर सिंह कादियानः** ....।

श्री अध्यक्षः कादियान जी जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए। (विघन) कादियान साहब आप बैठ जाएं। (विघ्न) सबको बोलने का मौका देंगे और उसका जवाब भी देंगे। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः आपने जो सोमवार को सैशन सुबह 9.30 बजे का रखा है यह आज तक कभी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, समय बढ़ाना तो अच्छी बात है। आप बताएं क्या पहले ऐसा कभी हुआ हे? (विघन)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, सोमवार को 9.30 बजे सैशन आज तक कभी शुरू नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः भजन लाल जी, आप बैठिए, यह मैम्बर्ज को बोलने देने के लिए ज्यादा समय. देने का तरीका है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह मेम्बर्ज के हितों पर बड़ा भारी कुठाराघात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप अपने मैम्बर्ज पर कंट्रोल करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे हालात ही क्यों पैदा कर रहे हैं। आप सबकी बात सुनें। अगर आप मैम्बर्ज की बात नहीं सुनेंगे तो वे क्या करेंगे?

श्री अध्यक्षः हम सबकी बात सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। अभी आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम हम रिपोर्ट को नहीं मानते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी सीटों पर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। कम से कम इस सैशन की 15 सीटिंग होनी चाहिएं। अगर आप यह बात नहीं मानते हें तो हम वाक आउट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठें।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक आउट्स

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर आपने यही रिपोर्ट माननी है तो मैं भी इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय कर्ण सिंह दलाल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री जगजीत सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, अगर आपने यही रिपोर्ट माननी है तो मैं भी इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री जगजीत सिंह सांगवान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, आपका यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्षः फौजी साहब, आप बैठें। आज तो आपका नेता भी नहीं है। वे छुट्टी दिए बगैर सदन से गैर हाजिर हैं। आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, अगर आपने यही रिपोर्ट माननी है तो मैं भी इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा विकास पार्टी के माननीय सदस्य श्री राम किशन फौजी सदन से वाक आउट कर गए।)

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay and re-lay papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Punjab Excise (Haryana Amendment) Ordinance, 2003 (Haryana Ordinance No. 1 of 2003).

Sir I also beg to re-lay on the Table of the House—

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 169/H.A. 20/1973/S. 64/2001 dated the 31st October, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General

Services) Notification No. G.S.R. 9/Const./Art 320/Amd. (1)/2002, dated the 30th May, 2002 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2002, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 58/ H.A. 20/1973/S. 64/2002, dated the 22nd July, 2002, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 74/ H.A. 20/1973/S. 64/2002, dated the 17th September, 2002, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Education Department Notification No. S.O. 88/H.A. 15/1979/ S-4, 5 and 16/2002, dated the 28th October, 2002, as required under Section 16(3) of the Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1979.

Sir I also beg to lay on the Table of the House—

The Social Welfare Department Notification No. S.O. 86/C.A. 56/ 2000/S. 68/2002, dated the 11th October, 2002, as required under Section 68(3) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

The Animal Husbandry Department No. S.O. 5/H.A. 6/2001/S. 17/ 2003, dated the 17th January, 2003, as required under Section 17(3) of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act,

2001.

The Women and Child Development Department Notification No. S .0. 30/C.A. 28/1961/S. 10/2003 dated the 28th February, 2003, as required under Section 10(3) of the Dowry Prohibition Act, 1961.

The Annual Accounts of Haryana Khadi & Gramodyog Board for the year 1997-98, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Accounts of Haryana Khadi & Gramodyog Board for the year 1998-99, as required under Section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2000-2001, as required under Section 39 (2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The 27th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 2000-2001, as required under Section 619-A, (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board Haryana for the year 2000-2001, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2002 (Civil) of the

Government of Haryana in pursuance of the Provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2002 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the Provisions of clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The 2nd Annual Report of the Haryana Power Generation Corporation Limited for the year 1998-99, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 3rd Annual Report of the Haryana Power Generation Corporation Limited for the year 1999-2000, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 1st Annual Report of the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 1999-2000, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 4th Annual Report of the Haryana Vidyut Prasaran Nigam Limited for the year 2000-2001, as required under Section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

नियम समिति की रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, I present the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under rule 243 ibid.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(1) श्री जय प्रकाश बरवाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, Committee of Privileges, will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting against the Ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of time for the presentation of the final Report to the House.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Bhagwan Sahai Rawat) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Puran Singh Dabra, M.L.A. and Shri Padam Singh Dahiya, M.L.A. against Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. regarding taking of mock Chair in the well of the House and showing himself as Speaker of the Assembly, defying the orders of the Chair and challenging and protesting

against the ruling of the Chair constantly thus committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. on 5th March, 2002.

Speaker Sir, **I** also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House

be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House

be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House

be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(2) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, of the Privileges Committee will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the

matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Bhagwan Sahai Rawat) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Rajinder Singh Bisla, M.L.A. and Shri Ram Kuwar Saini, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for obstructing and making uncalled for remarks against His Excellency, the Governor on 4th March, 2002 and helping greatly Shri Jai Parkash Barwala, M.L.A. in taking mock Chair in the well of the House at the time when the Sabha was in Session on 5th March, 2002 thereby committing the contempt of the House/Breach of privilege etc. by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. on 5th March, 2002.

Speaker Sir, **I** also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House

be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House

be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House

be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(3) कैप्टन अजय सिंह यादव, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्री जगजीत सिंह सांगवान,एम०एल०एज० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson, of the Privileges Committee will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of

the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/ breach ofprivilege etc. by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharambir Singh, M.L.A. and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.I,.A. on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final report to the House.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri Bhagwan Sahai Rawat) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bhagi Ram, M.L.A. and Shri Pawan Kumar, M.L.A. for coming to/remaining in well of the House in utter defiance of the Chair and continuously arguing with the Speaker, trying to manhandle with the Watch and Ward Staff and throwing a book towards the Chair by Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. breaking a light box while rushing to the well of the House, causing damage to the Government property by Shri Dharambir Singh, M.L.A. and using unparliamentary words and uncalled for remarks etc. in the House by Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. and thereby committing the contempt of the House/breach of privilege etc. by Capt. Aj ay Singh Yadav, M.L.A., Shri Dharambir Singh, M.L.A. and Shri Jagjit Singh Sangwan, M.L.A. on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the

next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(4) डा० रघुवीर सिंह कादियान, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairperson of the Privileges Committee will present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Dr. Sita Ram, M.LA. and. Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for corning to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/ breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002 and will also move the motion for the extension of the time for the presentation of the final Report to the House.

Chairperson, Committee of Privileges (Shri

Bhagwan Sahai Rawat) ; Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Dr. Sita Ram, M.L.A. and Shri Jasbir Mallour, M.L.A. against Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. for coming to/remaining in the well of the House, tearing the book of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, leading to grave misconduct and grave disorder, breaking a light box in the House thereby committing contempt of the House/breach of privilege etc. by Dr. Raghubir Singh Kadian, M.L.A. on 5th March, 2002.

Speaker Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 6th March, 2003.

***16.32 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 6th March, 2003.)